बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक–पि0व0 / विविध–25–01 / 2022– 106,

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर (भा0प्र0से0)
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 22/12/2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के तहत मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की भागीदारी में वृद्धि के उद्देश्य से संबधित प्रतियोगिता परीक्षाएँ यथा– NET, GATE, JRF(CSIR), Ph.D, M.Phil आदि की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु राज्य के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर एवं मधेपुरा में अवस्थित विश्वविद्यालयों में स्वीकृत एक–एक केन्द्र तथा पटना में अवस्थित विश्वविद्यालयों में स्वीकृत दो केन्द्र अर्थात कुल सात "व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र" के संचालनार्थ प्रति केन्द्र रू० 19,84,700/– (रू० उन्नीस लाख चौरासी हजार सात सौ) मात्र की दर से कुल राशि रू० 1,38,92,900/–(रू० एक करोड़ अड़तीस लाख बानवें हजार नौ सौ) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छांत्र/छात्राओं के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–899 दिनांक–22.07.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की भागीदारी में वृद्धि के उद्देश्य से संबधित प्रतियोगिता परीक्षाएँ यथा– NET, GATE, JRF(CSIR), Ph.D, M.Phil आदि की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु राज्य के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर एवं मधेपुरा में अवस्थित विश्वविद्यालयों में स्वीकृत एक–एक केन्द्र तथा पटना में अवस्थित विश्वविद्यालयों में स्वीकृत दो केन्द्र अर्थात कुल सात "व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र" के संचालन की विस्तारित अवधि वित्तीय वर्ष 2024–25 को पुनः विस्तारित करते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रति केन्द्र रू० 19,84,700/– (रू० उन्नीस लाख चौरासी हजार सात सौ) मात्र की दर से कुल वार्षिक व्यय रू० 1,38,92,900/–(रू० एक करोड़ अड़तीस लाख बेरानवे हजार नौ सौ) मात्र पर संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2–उक्त स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त केन्द्रों के संचालन हेतु कार्यालय व्यय मद (13.01) में प्रति केन्द्र राशि रू० 4,34,000/– की दर से कुल राशि रू0 30,38,000/– तथा संविदा सेवाएँ (28.02) मद में प्रति केन्द्र राशि रू0 15,50,700/– की दर से कुल राशि रू० 1,08,54,900/– अर्थात् कुल राशि रू० 1,38,92,900/–(रू0 एक करोड़ अड़तीस लाख बानवें हजार नौ सौ) मात्र आवंटित की जाती है।

3–कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के तहत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03– पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277–शिक्षा, उप शीर्ष 0101 –शिक्षा विषय शीर्ष 13.01 कार्यालय व्यय, विषय शीर्ष 28.02 संविदा सेवाएँ विपत्र कोड – 11-2225–03–277–0101 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

4– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी किये जाने के पश्चात इसे बही अंतरण (Book Transfer)के माध्यम से बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना के पी0एल0 खाता संख्या–PTSPLA007 में CFMS के माध्यम से Ledger Id-16322, Ledger Name-CM Career Guidance Scheme में उपलब्ध करायेंगे। इसका संव्यवहार (Transaction) नियमानुसार प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना द्वारा किया जायेगा। राशि के व्यय की पूर्ण जिम्मेवारी बिहार

Scanned with OKEN Scanner

राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन पटना की होगी। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

5–बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम पटना के द्वारा राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–899 दिनांक–22.07.2025 में निहित दिशा–निर्देश के अनुरूप नियमानुसार किया जायेगा।

6–राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, संकल्प ज्ञापांक–3808 दिनांक–02.06.2017 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। राशि की व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष समाप्ति के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा।

7–प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8–प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

9–इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

22/12/25

(अनिल कुमार ठाकुर)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/विविध–25–01/2022– 106. पटना, दिनांक– 22/12/2025

प्रतिलिपि–(1) महालेखाकार (ले०एवं ह०), बिहार, पटना/महालेखाकार(अंकेक्षण, बिहार, पटना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(6) आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, पटना/जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पटना/लेखा शाखा एवं बजट शाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(7) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/12/25

सरकार के अपर सचिव।

Scanned with OKEN Scanner